जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अति अल्पकालीन निविदा

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची क पत्रांक (N) 1781 दिनांक 23.06.2018 के आलोक में मनरेगा योजना अंतर्गत बिरसा मुण्डा बागवानी योजना का क्रियान्वयन हेतु गुणवत्तापूर्ण आम पौधों की खरीदारी हेतु राज्य स्तर पर कुल 05 (पाँच) नर्सरी/एजेन्सियों को Empanelment किया गया है जो निम्न प्रकार है :—

1.Shakti Nursery- At- Tangi, P.O- Kotsahi, Tangi, Cuttack
2.Narayan Horticulture Nursery- Dohutoli, Hatma Kanke Road, Ranchi
3. M/s Prakash Seeds & Nursery- Birsa Bus Stand, Khadgara, Ranchi
4. Phal Udyog Nursery- Village – Ara, P.O-Mahilong(Tatisilwai), Ranchi
5. Ma Bhumi Nursery- Sandhya Math Para Krishanagar Nadia, West Bengal

अतः उक्त वर्णित इच्छुक राज्य स्तरीय Empanelled 05 नर्सरियों/एजेन्सियों से सीलबंद लिफाफे में दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 09.07.2018 के अपराह्न 02:00 बजे तक उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में Plant for Birsamunda Baagwani under MGNREGA अंकित कर जमा कर सकते हैं।

निविदादाताओं द्वारा आम के पौधे आपूर्ति करने हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायः—

1. पौधा आम्रपाली एवं मल्लिका प्रजाति का ही हो।
2. पौधों का कलम सिर्फ 'Veneer graft' पद्धति से तैयार होना चाहिए।
3. पौधों का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधे का उम्र कम से कम 02 वर्ष हो।
6. पौधा में जहाँ कलम (Grafting) किया गया हो उसके उपर (Scion) व नीचे के तने (Stock) की मोटाई समान हो।
7. Stock की लम्बाई 1–1.5 फीट हो।
8. पौधों का थैला काला polythene का हो व थैला (Black polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए।

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा के साथ अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं/निर्माता होने का प्रमाण–पत्र तथा गुणवत्ता का टेस्ट रिपोर्ट का प्रमाण–पत्र अन्य संबंधित कागजातों यथा आयकर, बिक्रीकर आदि का क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

2. कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति आदेश के आलोक में ही आपूर्ति की जाएगी। आपूर्तिकर्त्ता अपनी पक्की रसीद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही पंचायत में जमा करेगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं ऐसी स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।
5. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10,000.00 (दस हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–प्रबन्ध निदेशक, डी0आर0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम के नाम से जमा करना होगा।
6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आपूर्ति आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अंदर निर्दिष्ट स्थल पर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।
7. निविदा की शर्तों में संशोधन करने या बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत करने/रद्द करने के साथ ही एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
8. कोई भी निविदा सशर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. निर्धारित समय सीमा के उपरांत प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-

उप विकास आयुक्त
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक :– 1284/जि0ग्रा0 दिनांक :– 28/06/18

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन को जिले के वेबसाईट Jamshedpur.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंग

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्थानीय सभी दैनिक समाचार पत्रों में इस विज्ञापन को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे

प्रतिलिपि :– Shakti Nursery- At- Tangi, P.O- Kotsahi, Tangi, Cuttack / Narayan Horticulture Nursery- Dohutoli, Hatma Kanke Road, Ranchi / M/s Prakash Seeds & Nursery, Birsa Bus Stand, Khadgara, Ranchi / Phal Udyog Nursery- Village – Ara, P.O-Mahilong(Tatisilwai), Ranchi / Ma Bhumi Nursery- Sandhya Math Para Krishanagar Nadia, West Bengal - को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त
–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।